न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/59/16	21.04.2016	28.06.2019

उनवान

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतकौर पत्नी उजागरसिंह जाति सिख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)

बनाम

1. रणजीत जनकल्याण संस्था रामगढ जर्ये सचिव सर्वजीतसिंह पुत्र हरभजनसिंह जाति जट सिख निवासी बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर एवं अन्य ।

.....अप्रार्थीगण(वादीगण)

(प्रा0 पत्र जेर आर्डर 7 रूल 11 व

जा0 दी0 व सक्सेशन 11 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण–

1. **श्री राजेश जैन एडवोकेट – प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)**
2. **श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – अप्रार्थी(वादी)**

निर्णय

प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बिला अधिकार व मनगढन्त व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बेजा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है जो वादी का दावा मोजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। वादी प्रतिफल प्राप्त कर तथा मौके पर कब्जा प्रदत्त कर अपने हिस्से की आराजी को विक्रय कर चुका है तथा वादी का विवादित आराजी से कोई संबध व सरोकार नही है। उसने उक्त दावा प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से व नाजायज द्रव्य एठने की गरज से पेश किया है। वादी का दावा व दरख्वास्त प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादी शुद्ध हस्त से दावा लेकर नही आया है वादी विवादित आराजी का ना तो खातेदार काबिज काश्तकार है ना वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा है विवादित

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

आराजी वादी की पैतृक आराजी के विक्रय से प्राप्त राशि से खरीद नही की है अपितु प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं की राशि से खरीद की गई है। प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर विद पास्ट वैल्यू बिल कन्सीडेशन विद आउट नोटिस है। यानि प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी स्वयं की निजी आय से जायज रकम देकर विवादित आराजी खरीद की है और प्रतिवादी सं0 1 का सही प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम आ चुका है। वादी विवादित आराजी की बाबत कोई आज्ञा व अनुतोष करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी समस्त बयनामा की फोटो प्रति पेश कर रहे है। इस प्रार्थना पत्र से हम प्रतिवादी सं0 2 ला0 4 भी सहमत है वादी ने उक्त दावा व दरख्वास्त हम प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा व दरख्वास्त सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी(वादी) का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। अप्रार्थी (वादी) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादी की पैतृक आराजी को विक्रय कर प्राप्त आय से विवादि आराजी को खरीद किया गया है। विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है जो वादी के कब्जे काश्त में है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी को विक्रय नही किया है और ना ही प्रतिवादीगण से कोई प्रतिफल प्राप्त किया है। वादी शुद्ध हस्त से अपना वाद पत्र लेकर आया है। वादी विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी को विक्रय से प्राप्त आय से प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा खरीद की गई है वादी प्रतिवादी सं0 2 का पुत्र है इसलिए विवादित आराजी की पैतृक आराजी है जिससे प्रतिवादी सं0 1 सर्वजीत सिंह पुत्र हरभजनसिंह का कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं की राशि से विवादित आराजी खरीद की है। रणजीतकौर वादी की माता है तथा प्रतिवादी सं0 2 वादी के पिता है इसलिये रणजीत जनकल्याण इस संस्था का नाम है प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 आपस में साजबाज है प्रतिवादी सं0 2 ला0 4 प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सं0 1 ला0 4 के बहकावे में है। प्रतिवादी सं0 2 वृद्ध व्यक्ति हैं जिसमें सोचने, समझने की शक्ति नही है उसकी याददाश्त भी कमजोर है इसलिये प्रतिवादी सं0 1 सर्वजीतसिंह बिला किसी नियुक्ति के सचिव बना हुआ है जो विवादित आराजी को हडपकर उससे अनुचित लाभ प्राप्त करने की जुस्तजू में है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधानों का उल्लघंन नही हुआ है वादी का वाद पत्र कानून से बाधित नही है। वादपत्र के तथ्य तनकी व साक्ष्य प्राप्त कर निर्णित होंगे। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी(प्रतिवादीगण) के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादी ने दावा बिला अधिकार व मनगढन्त व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बेजा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है जो वादी का दावा मोजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। वादी प्रतिफल प्राप्त कर तथा मौके पर कब्जा प्रदत्त कर अपने हिस्से की आराजी को विक्रय कर चुका है तथा वादी का विवादित आराजी से कोई संबध व सरोकार नही है। उसने उक्त दावा प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से व नाजायज द्रव्य एठने की गरज से पेश किया है। वादी का दावा व दरख्वास्त प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादी शुद्ध हस्त से दावा लेकर नही आया है वादी विवादित आराजी का ना तो खातेदार काबिज काश्तकार है ना वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा है विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी के विक्रय से प्राप्त राशि से खरीद नही की है अपितु प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं की राशि से खरीद की गई है। प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर विद पास्ट वैल्यू बिल कन्सीडेशन विद आउट नोटिस है यानि प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी स्वयं की निजी आय से जायज रकम देकर विवादित आराजी खरीद की है और प्रतिवादी सं0 1 का सही प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम आ चुका है। वादी विवादित आराजी की बाबत कोई आज्ञा व अनुतोष करने का अधिकारी नही है। वादी का दावा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी (वादी) के विद्वान वकील ने अपनी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी की पैतृक आराजी को विक्रय कर प्राप्त आय से विवादि आराजी को खरीद किया गया है। विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है जो वादी के कब्जे काश्त में है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी को विक्रय नही किया है और ना ही प्रतिवादीगण से कोई प्रतिफल प्राप्त किया है। वादी शुद्ध हस्त से अपना वाद पत्र लेकर आया है। वादी विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार है। वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधानों का उल्लघंन नही हुआ है वादी का वाद पत्र कानून से बाधित नही है। वादपत्र के तथ्य तनकी व साक्ष्य प्राप्त कर निर्णित होंगे। अप्रार्थी(वादी) ने बहस के दौरान 2017 एनओसी 753, 2017 पेज 98, 2017 एनओसी पेज 52, 2015 एससी 2485, 2019(1) आरआरटी 264, 2019 (1) आरआरटी 43 की नजीरे पेश की तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर है कि रणजीत जन कल्याण संस्थान रामगढ़ द्वारा जर्ये सरबजीतसिंह ने ग्राम केशवनगर के आराजी खसरा नम्बर 1553 / 581 रकबा 0.04, 1558/582 रकबा 0.04, 1562/585 रकबा 0.04, 1567/586 रकबा 0.05, 1772 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 0.22 हैक्ट0 को दिनांक 11.02.2011 को श्रीचन्द पुत्र श्री घुडिया जाति गौड ब्राहम्ण से खरीद किया है। इसी प्रकार ग्राम केशवनगर के आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 0.04 हैक्ट0 को दिनांक 11.10.2011 को प्रभूदयाल पुत्र श्री गंगासहाय जाति आदि गौड ब्राहम्ण से रणजीत जन कल्याण संस्थान रामगढ़ अलवर जर्ये सचिव श्री सरबजीतसिंह पुत्र श्री हरभजनसिंह जाति जटसिख ने खरीद की है। इसी प्रकार ग्राम केशवनगर के आराजी खसरा नम्बर 1554 /581 रकबा 0.04, 583 रकबा 0.05, 584 रकबा 0.01, 1563 / 585 रकबा 0.04, 1568/586 रकबा 0.04, 1573/583 रकबा 0.04 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 0.22 हैक्ट0 की खरीद दिनांक 11.02.2011 को श्री जयकिशन पुत्र घुडिया जाति आदि गौड ब्राहम्ण से रणजीत जन कल्याण संस्थान

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

रामगढ अलवर जर्ये सचिव श्री सरबजीतसिंह पुत्र श्री हरभजनसिंह जाति जटसिख ने खरीद की है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वादी नरेन्द्रसिंह का ना तो बेचने वाले से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार है तथा खरीददार भी सचिव सरबजीतसिंह है जिसका वादी नरेन्द्र सिंह से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। ना ही अप्रार्थी (वादी) यह सिद्ध कर पाया कि रणजीतसिंह जन कल्याण में उनकी किसी पैतृक भूमि को बेचकर संस्थान में हिस्सा दिया हो। इस प्रकार मात्र सम्भावनाओं के आधार पर एक काल्पनिक कहानी बनाकर दावा लाया जाना प्रतीत होता है। वादी ने दावा बिला अधिकार व मनगढन्त व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बेजा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है। वादी का विवादित आराजी से कोई संबध व सरोकार नही है। वादी का दावा व दरख्वास्त प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। वादी विवादित आराजी का ना तो खातेदार काबिज काश्तकार है ना वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा है विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी के विक्रय से प्राप्त राशि से खरीद नही की है अपितु प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं की राशि से खरीद की गई है। प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर विद पास्ट वैल्यू बिल कन्सीडेशन विद आउट नोटिस है यानि प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी स्वयं की निजी आय से जायज रकम देकर विवादित आराजी खरीद की है और प्रतिवादी सं0 1 का सही प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम आ चुका है। वादी विवादित आराजी की बाबत कोई आज्ञा व अनुतोष करने का अधिकारी नही है। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान स्पष्ट लागू होते है। अप्रार्थी(वादी) ने बहस के दौरान 2017 एनओसी 753, 2017 पेज 98, 2017 एनओसी पेज 52, 2015 एससी 2485, 2019(1) आरआरटी 264, 2019 (1) आरआरटी 43 की नजीरे पेश की जो प्रार्थना पत्र पर पूर्णतयां लागू नही होती है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

(6)

आदेश

प्रार्थी (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बार्ड बाई लॉ होने से स्वीकार किया जाता है। क्योकि वादी का ना तो रणजीत जनकल्याण संस्थान ने जिन व्यक्तियों से भूमि खरीदी उनसे सरोकार है तथा ना ही रणजीत जनकल्याण से। अतः वादी का मौजूदा वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.06.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/59/16	21.04.2016	28.06.2019

उनवान

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतकौर पत्नी उजागरसिंह जाति सिख निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)

बनाम

1. रणजीत जनकल्याण संस्था रामगढ जर्ये सचिव सर्वजीतसिंह पुत्र हरभजनसिंह जाति जट सिख निवासी बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर एवं अन्य ।

.....अप्रार्थीगण(वादीगण)

(प्रा0 पत्र जेर आर्डर 7 रूल 11 व जा0 दी0 व सक्सेशन 11 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण–

1. **श्री राजेश जैन एडवोकेट – प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)**
2. **श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – अप्रार्थी(वादी)**

पर्चा डिक्री

प्रार्थी (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बार्ड बाई लॉ होने से स्वीकार किया जाता है। क्योकि वादी का ना तो रणजीत जनकल्याण संस्थान ने जिन व्यक्तियों से भूमि खरीदी उनसे सरोकार है तथा ना ही रणजीत जनकल्याण से। अतः वादी का मौजूदा वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.06.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

28.06.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)